संख्या-88/2016/1657 /24-1-16-49 पी/2014

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2016**

विषय:-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-579/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र-2/268/आय-व्ययक/2015-16,दिनांक16.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु सामान्य बजट में धनराशि रूपये 150,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचॉस करोड़ मात्र) में से शासनादेश दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचॉस करोड़ मात्र) की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। अब अवशेष प्राविधानित धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) में से रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचॉस करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर माह जुलाई, 2016 तथा माह अगस्त 2016 में रूपये 25,00,00,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र), प्रति माह की दो समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उ0प्र0 विद्युत निगम को ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु अंशपूंजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-169/दस-2016, दिनांक 27 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 88/2016/1657(1)/24-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in